



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:22121

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ खंडपीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या- 792 वर्ष 2026

राकेश कुमार विश्वकर्मा @ राकेश विश्वकर्मा और 3 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार निषाद, भानु प्रताप सिंह, नावेद आलम,

प्रतीक मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

प्रस्तुत आवेदन निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है:-

"1. दण्डिक प्रकरण संख्या 674 (वर्ष 2025 2026) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द किया जाए, जो दण्डिक प्रकरण संख्या 47 (वर्ष 2025) से उत्पन्न हुई है, यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1), 85, 115(2), 351(2), 352 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494, 498ए, 323, 506, 504 के समतुल्य हैं) के अंतर्गत पुलिस थाना महिला थाना, जिला सुल्तानपुर में दर्ज है और वर्तमान में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, इसके साथ ही अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न आरोप-पत्र को भी रद्द किया जाए।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आरोप पत्र बिना किसी ठोस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साक्ष्य के दाखिल किया गया है, जबकि संज्ञान लेते और समन जारी करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत भी अतिरिक्त रूप से संज्ञान ले लिया है, यद्यपि उक्त अपराध के अंतर्गत कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि संज्ञान लेने और समन जारी करने के चरण में विद्वान विचारण न्यायालय न तो किसी अपराध/धारा को हटा सकता है और न ही जोड़ सकता है, और इसलिए, 20.12.2025 का यह आदेश त्रुटिपूर्ण है।

अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने स्टेट ऑफ गुजरात बनाम गिरीश राधाकृष्णन वर्दे (Manu/SC/1211/2013) के प्रकरण में दिए गए एक निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है और उस निर्णय के प्रस्तर 14 का उल्लेख किया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"14. इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या शिकायतकर्ता/सूचनादाता/अभियोजन पक्ष को किसी उपचार की मांग करने से रोका जाएगा, यदि विवेचना अधिकारियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के बावजूद भारतीय दण्ड संहिता की उन सभी धाराओं को शामिल न करके अपने कर्तव्य में चूक की है जिसके अंतर्गत अपराध बनता हुआ माना जा सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं में ही होगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष को उन धाराओं को नज़रअंदाज़ किए जाने के कारण नुकसान उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो अपराध का आधार बनती हैं, भले ही विवेचना अधिकारी किसी भी कारण से प्रथम सूचना अधिकार के आधार पर की गई जांच के पश्चात तैयार किये गए आरोप पत्र में सभी अपराधों को शामिल करने में विफल रहे हों। परन्तु फिर एक और प्रश्न उठता है कि क्या इस कमी को उस मजिस्ट्रेट द्वारा पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके समक्ष आरोप पत्र जमा होने के पश्चात प्रकरण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर संज्ञान लेने हेतु सुनवाई होती है? जैसा कि पूर्व में ही कहा जा चुका है, पुलिस रिपोर्ट पर आधारित किसी प्रकरण में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने की अनुमति केवल विचारण न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है और वह भी केवल तब जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216, 218, या 228 जैसा भी मामला हो के अंतर्गत आरोप विरचित किए जा रहे हों। इसका अर्थ यह है कि आरोप पत्र जमा होने के पश्चात अभियोजन पक्ष इस हेतु स्वतंत्र रहेगा कि वह आरोप विरचित किए जाने के चरण में संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत करे और सिद्ध करे कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जिन उचित धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने चाहिए, उन्हें विरचित करने की अनुमति दी जाए। साथ ही इस चरण पर अभियुक्त को भी यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अपना पक्ष रखते हुए यह बताए कि किसी विशेष प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना चाहिए या नहीं। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी प्रकरण में यही वह उचित मंच है जहां यह निर्णय लिया जाता है कि क्या आरोप विरचित किए जा सकते हैं, और क्या जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आरोप पत्र में सामने आए तथ्यों के आधार पर किसी विशेष धारा को जोड़ा या हटाया जा सकता है।"

उपर्युक्त का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णय के सिद्धांत के अंतर्गत पूर्णतः आता है। अतः, निवेदन है कि दिनांक 20.12.2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि इस तर्क का गुण-दोष के आधार पर विरोध किया है, तथापि वे दिनांक 20.12.2025 के आदेश में उल्लिखित अतिरिक्त धाराओं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के संबंध में जो अभियुक्तगण/आवेदकगण को समन जारी करते समय शामिल की गई थीं अपने तर्क को पुष्ट करने में असफल रहे हैं।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि आरोप-पत्र दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया था, परन्तु संज्ञान लेते और समन जारी करते समय विचारण न्यायालय ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 को जोड़ दिया है। इस विषय पर विधि गिरीश राधाकृष्णन वर्दे (उपर्युक्त) के प्रकरण में भली-भांति स्थापित है।

अतः, यहाँ चुनौती दिए गए दिनांक 20.12.2025 के आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

इस प्रकरण को संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है, ताकि वे विधि के प्रावधानों और विधि के स्थापित सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए, 45 दिनों की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करें।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

30 मार्च 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राम मूर्ति

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।